भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2728
जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

+2728. श्री सुनील कुमार पिन्टू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के, विशेषकर बिहार के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कितनी कमी आई है ; और

(ख) निर्धारित समय के अंदर न्यायालय के सभी प्रकार के मामलों के निपटारे हेतु वर्तमान में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने के प्रस्ताव हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सभी उच्च न्यायालयों, पटना उच्च न्यायालय, देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, बिहार राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	तारीख 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	तारीख 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	तारीख 20.12.2018 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	तारीख 28.11.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या
1.	सभी उच्च न्यायालय	40,15,147	34,27,462	49,79,033	44,89,758
2.	पटना उच्च न्यायालय	1,34,459	1,45,056	1,49,920	1,68,123
3.	देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय	2,74,97,436	2,61,24,130	2,92,11,615	3,16,15,186
4.	बिहार में जिला और अधीनस्थ न्यायालय	21,28,325	16,58,292	24,68,897	28,48,083

(ख) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायापालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात बार, अन्वेषण

अभिकरणों, गवाहों और वादकारियों का समनव्य तथा नियमों और प्रकियाओं को समुचित रुप से लागू किया जाना भी सम्मिलित है।

तथापि, संघ सरकार संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन आदेश के अनुरूप न्याय की पहुंच की अभिवृद्धि हेतु मामलों के त्वरित निपटारे और मामलों के लंबन में कमी के लिए प्रतिबद्ध है। संघ सरकार द्वारा वर्ष 2011 में गठित राष्ट्रीय न्यायिक परिदान और विधिक सुधार मिशन ने कई रणनीतिक पहल की है, जिनके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयाँ) में सुधार करना, बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरना, बकाया समिति द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर लंबित मामलों में कमी, अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर तथा विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल शामिल हैं। विभिन्न पहलोँ के अधीन पिछले पांच वर्ष के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7,453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं। जिसमें से 4,008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से आज की तारीख तक बढ़कर 19,425 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर आज की तारीख तक 17,151 हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 2,814 न्यायालय हॉल और 1,843 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ii) <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रोद्योगिकी में समर्थकारी बनाने के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज की तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयोँ की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एनजेडीजी पर 12.23 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों, और 10.26 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों के बारे में सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई-न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

तारीख 01.05.2014 से तारीख 28.11.2019 के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। उच्च न्यायालयों में 489 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 427 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
18.11.2019 को	23,564	18,125

(iv) <u>बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी:</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(v) <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर:</u> वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथा संशोधित) द्वारा वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता क्रियाविधि आरंभ की गई है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए संशोधित किया गया है।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल:</u> जघन्य अपराधों के मामलों, स्त्रियों, बालकों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि से संबंधित मामलों के लिए तारीख 30.09.2019 तक 704 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अधीन लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है।

****